रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1285] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 2012/आषाढ 18, 1934

No. 1285] NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 2012/ASADHA 18, 1934

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2012

का.आ. 1524(अ).—यद्यपि केन्द्र सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग मदों में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम 1987 (जिसे इसके बाद जेपीएम अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन जारी दिनांक 17 जनवरी, 2012 (जिसे इसके पश्चात प्रधान आदेश कहा जाएगा) के आदेश सं. का.आ. 88(अ) पटसन वर्ष 2011-12 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में 100 प्रतिशत के लिए खाद्यान्न और चीनी के लिए आरक्षित है । उक्त मुख्य आदेश की वैद्यता को आदेश सं. का.आ. 1417(अ) दिनांक 22 जून, 2012 के द्वारा 3 माह की अवधि, उक्त आदेश के समाप्त होने की तारीख अर्थात् 30-9-2012 तक बढ़ाया गया है ।

तथा, यद्यपि जेपीएम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार, यदि यह राय रखती हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में अनिवार्य अथवा लाभप्रद हो, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को किन्हीं मदों अथवा मदों की श्रेणी के लिए आपूर्ति करने अथवा वितरण करने से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन निर्मित आदेश के प्रचालन से छूट दे सकती है ।

यद्यपि उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग ने अनुरोध किया है कि राज्य खरीद एजेंसियों से मासिक आवश्यकताओं और जुलाई, अगस्त और सितंबर, 2012 माह के लिए पटसन बोरों की संभावित अनुमानित आपूर्ति को देखते हुए खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के लिए एचडीपीई/पीपी बोरों की 3.5 लाख गांठ के प्रयोग के लिए इस आदेश में तत्काल छूट प्रदान की जाए ।

तथा, यद्यपि केन्द्र सरकार ने पटसन आयुक्त, कोलकाता के परामर्श से खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के लिए खाद्यान्न की पैकिंग के लिए बी.ट्विल पटसन बोरों की अनुमानित मांग तथा सरकारी खरीद एजेन्सियों को आपूर्ति के संबंध में पटसन उद्योग की अनुमानित आपूर्ती क्षमता की समीक्षा की है।

तथा, यद्यपि भारत सरकार ने विचार किया है कि पैडी अधिप्राप्ति राज्यों की अत्यधिक मांग के कारण जुलाई, अगस्त और सितंबर, 2012 माह के दौरान पटसन बोरों की आपूर्ती में यथेष्ट कमी होगी । जुलाई-सितंबर 2012 के दौरान 12.37 लाख गांठ की मांग की तुलना में पटसन उद्योग अधिकतम केवल 8.87 लाख गांठ की आपूर्ती करने में समर्थ होगा और 3.50 लाख गांठ की कमी हो सकती है।

तथा, यद्यपि खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के जुलाई-सितंबर 2012 के दौरान पटसन बोरों की आपूर्ति में कमी के कारण राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा सामना किए जाने वाली संभावित समस्याओं को देखते हुए

अब, इसलिए, केन्द्र सरकार का मत है कि जनहित में तथा जेपीएम अधिनियम की धारा 16 (1) के उपबंध के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा करना, एतदद्वारा राज्य एजेंसियों को खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के लिए 3.50 लाख गांठ की कुल मात्रा तक मुख्य आदेश के प्रचालन से छूट देना (और इस प्रकार खाद्यानों की पैकिंग के लिए पटसन के अलावा अन्य सामग्री की अनुमति देना) आवश्यक अथवा उचित है । इन बोरों की खरीद निम्न प्रयोजनार्थ की जा सकती है:

(i) 31 जुलाई, 2012 तक एचडीपीई/पीपी बोरों की संचयी 0.16 लाख गांठ से अधिक नहीं ।
(ii) 31 अगस्त, 2012 तक (जुलाई-अगस्त के लिए) एचडीपीई/पीपी बोरों की संचयी 1.97 लाख गांठ से अधिक नहीं ।
(iii) 30 सितंबर, 2012 (जुलाई-सितंबर के लिए) तक एचडीपीई/पीपी बोरों की संचयी 3.50 लाख गांठ से अधिक नहीं ।

उक्त छूट चालू पटसन वर्ष के लिए ऐसी एजेंसियों द्वारा की गई खाद्यान की कुल खरीद के बीस प्रतिशत की सीमा के भीतर होगी । इस पर यह शर्त भी होगी कि एचडीपीई/पीपी बोरों का उपयोग केवल अत्यावश्यकता की स्थिति में अर्थात मांगकर्ताओं / राज्य एजेंसियों द्वारा पटसन बोरों के लिए समय पर अनुमानित मासिक इंडेट (आर्डर) दिए जाने के बावजूद भी पटसन बोरे उपलब्ध न होने की स्थिति में किया जाएगा और राज्य एजेंसियों द्वारा एचडीपीई और पटसन बोरों का अंतिम शेष केंद्र सरकार को सूचित करना होगा । इस प्रयोजनार्थ एचडीपीई/पीपी बोरों की खरीद के लिए राज्य एजेंसीवार, माहवार बटवारा खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वस्त्र मंत्रालय के परामर्श से समय-समय पर इस आदेश में निहित मानदण्डों के अंतर्गत किया जाएगा ।

इसके अलावा, चूंकि खाद्यानों की पैकिंग पटसन बोरों में करने की आवश्यकता से छूट की अनुमति खरीफ 2012-13 के लिए पैकिंग सामग्री की अनुमानित मांग के आधार पर दी जाती है अत: पूर्वानुमानों अथवा राज्य सरकारों से वास्तविक मांग/ इंडैंट्स में परिवर्तनों को देखते हुए इसे संशोधित अथवा कम किया जाए ।

[फा. सं. 9/15/2012-पटसन]

सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2012

S.O. 1524(E).—Whereas the Central Government vide Order No. S.O.88(E) dated 17th January, 2012 (hereinafter referred to as the Principal Order) issued under the provision of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (hereinafter referred to as the JPM Act) reserved foodgrain and sugar for 100 percent packaging in jute packaging material for the jute year 2011-12. The validity of the said Principal Order has been extended for a further period of three months from the date of expiry of the said order i.e. upto 30.09.2012, vide Order No. S.O. 1417(E) dated 22nd June, 2012.

And, whereas, under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, the Central Government, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, may exempt any person or class of persons, supplying or distributing any commodity or class of commodities, from the operation of an order made under Section 3 of the Act.

And, whereas, the Department of Food & Public Distribution has requested that in view of the monthly requirements from the State Procuring Agencies and the expected projected supply of the Jute Bags for the months of July, August and September, 2012, immediate relaxation of this order may be granted for use of 3.5 lakh bales of HDPE/PP bags for the Kharif Marketing Season (KMS) 2012-13.

And, whereas, the Central Government has reviewed the projected demand of B.Twill jute bags for packing foodgrains for KMS 2012-13 and the corresponding projected supply capacity of jute industry in respect of supply to the Government procurement agencies in consultation with Jute Commissioner, Kolkata.

And, whereas, the Government of India has considered that due to peak demands of the paddy procuring States, there would be considerable shortfall in the supply of jute bags during the months of July, August and September, 2012. As against the demand of 12.37 lakh bales during July-September, 2012, the jute industry will at best be able to supply only 8.87 lakh bales and there could be shortage of 3.50 lakh bales.

And, whereas, in view of the problems likely to be faced by the State Procurement Agencies due to shortage of supply of jute bags during July-September, 2012 of KMS 2012-13.

Now, therefore, the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, and in exercise of the powers under the provision of Section 16(1) of the JPM Act, hereby exempt the State Agencies from the operation of the Principal Order (and thus allowing for packaging foodgrains in material other than jute) upto the extent of a total quantity of 3.50 lakh bales for the Kharif Marketing Season 2012-13. These bags may be procured for the purpose as under:

(i) Not more than a cumulative of 0.16 lakh bales of HDPE/PP bags upto 31st July, 2012

(ii) Not more than a cumulative amount of 1.97 lakh bales of HDPE/PP bags (for July-August) upto 31st August, 2012

(iii) Not more than a cumulative amount of 3.50 lakh bales of HDPE/PP bags(for July-September) upto 30th September, 2012

The said exemption would be within the limit of 20% of the total procurement of foodgrain made by such agencies for the current jute year. It is further subject to the condition that the HDPE/PP Bags would be used only in case of emergency i.e. only when, and to the extent, the Jute bags are not available inspite of the indentors/ State agencies having placed the projected monthly indents for Jute bags in time and the closing balance of HDPE and Jute Bags would need to be furnished by the State Agencies to the Central Government. The State Agency wise, month wise apportionment for procurement of HDPE/PP bags for the purpose would be done by the Department of Food & Public Distribution within the parameters contained in this order from time to time in consultation with the Ministry of Textiles.

Furthermore, since this exemption from the requirement of packing foodgrains in jute bags is allowed on the basis of the projected Kharif 2012-13 demand for packing material, it may be modified or reduced in view of the changes in projections or of the actual demand/ indents from the State Agencies.

[F. No. 9/15/2012-Jute]

SUJIT GULATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.